(8) विभाग में गठित बोर्ड एवं समिति में जनता के सदस्यों की भागीदारी :

प्रदेश में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान समितियाँ होती हैं। जिसमें 15 सदस्यों की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति जिसमें कम से कम 8 गैर सरकारी सदस्य होते हैं द्वारा स्थानीय रूप से निर्धारित कार्यक्रम, नीति तथा योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं। प्रदेश स्तर पर मा0 मद्यनिषेध मंत्री जी की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य मद्यनिषेध परिषद गठित है। जिसमें परिगणित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला समाज, युवा वर्ग व रचनात्मक कार्य में संलग्न सामाजिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के सामाजिक कार्यकर्ता जो मद्यनिषेध कार्य में रूचि और आस्था रखते हों, नामित हैं।